सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 80/2018

हगामी पत्नि गोकल बैरवा निवासी जाल का खेडा ग्रा.प. जूनिया तह. केकडी जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी

----अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 9.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जाल का खेडा तहसील केकडी की के खाता संख्या 127 में दर्ज में मेरा नाम हगांमी पत्नि गोकल के स्थान पर हगांमी पत्नि गोपाल दर्ज किया गया जिसे सही किया जाकर पति का नाम गोपाल के स्थान पर गोकल किया जावे उक्त प्रार्थनापत्र पर हगांमी पत्नि गोकल** के हस्ताक्षर भी अंकित है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम ग्राम जाल का खेडा जमाबन्दी में खाता स. 127 में हगांमी पत्नि गोपाल दर्ज है। प्रार्थीया का आधार कार्ड, राशनकार्ड, शपथ पत्र एंव संरपच ग्रम पंचायत जूनिया के तस्दीक राशनकार्ड अनुसार वादी हंगामी के पति का नाम गोपाल की जगह गोकल किया जाने की सहमति दी है। साथ ही भू. अभि. निरीक्षक रिपोर्ट में भी ग्राम जाल का खेडा में खाता संख्या 127 में वादिया हगामी के पति का सही हगामी देवी पत्नि स्व. गोकल की घोषणा किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का जूनियां की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम जाल का खेडा में खाता संख्या **127 में दर्ज में ग्राम जाल का खेडा में खाता संख्या 127 में वादिया हगामी के पति का सही हगामी देवी पत्नि स्व. गोकल** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच गोपाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादिया के पति का नाम गोपाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी गोपाल नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 9.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जूनियां में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी